Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत	– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर				
ज्ञानसिंह	बनाम	अशोक वगैरह			
किस्म मुकदमा	नियमित फौजदारी प्रकरण	नम्बर	1405	सन्	2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
04-07-2026	परिवादी मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण अशोक व शीला मय अधिवक्ता उपस्थित। बहस चार्ज सुनी गई। बहस के दौरान **अधिवक्ता अभियुक्त** का निवेदन रहा है कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त को प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। अनुसंधान अधिकारी और प्री–चार्ज साक्ष्यों के अनुसार अभियुक्त ने किसी प्रकार की जालसाजी, धोखाधड़ी या छलपूर्वक कार्यवाही नहीं की। अंत में अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने का निवेदन किया गया। **अधिवक्ता परिवादी** द्वारा प्रकरण में पक्षकारान का आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने व उन्मोचित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने बाबत कथन किये। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि परिवादी ज्ञानसिंह द्वारा एक इस्तगासा न्यायालय के समक्ष मुलजिमान अशोक कुमार, कमला देवी, सुरज्ञान, कमलेश, सुमेश के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि एक भूखण्ड को मुस्तगीस ने कजोडमल पुत्र देवबक्स से दिनांक 03.01.1983 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था। जिसकी एक लिखावट विक्रय–पत्र उक्त कजोडमल ने मुस्तगीस के हक में तहरीर की है। मुस्तगीस ने उक्त भूखण्ड का पट्टा भी नगरपालिका गंगापुर सिटी से दिनांक 13.03.2008 को प्राप्त कर रखा है जो पट्टा सब रजिस्ट्रार गंगापुर सिटी से पंजीकृत है, इस तरह मुस्तगीस उक्त भूखण्ड का रजिस्टर्ड मालिक स्वामी काबिज है। मुलजिम नम्बर 1 ने अपने आपको उक्त कजोडमल का वारिस बताते हुए मुस्तगीस के उक्त भूखण्ड के पूर्वी हिस्से की भूमि पूरब पश्चिम 18 फिट 3 इंच व उत्तर दक्षिण 40 फिट को अपनी होना बताते हुए गलत प्रकार से मुलजिम नम्बर 2 को दिनांक 11.04.2012 को विक्रय कर दिया तथा मुस्तगीस के उक्त भूखण्ड को छीनने के उद्देश्य से, जब सब रजिस्ट्रार गंगापुर सिटी ने उक्त विक्रय–पत्र पंजीकृत नहीं किया तो उक्त फर्जी विक्रय–पत्र सब रजिस्ट्रार सवाई माधोपुर के समक्ष पेश कर दिनांक 11.04.2012 को गलत तरीके से पंजीकृत करा लिया....इत्यादि।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त इस्तगासा थाना गंगापुर सिटी में वास्ते अनुसंधान भेजा गया, जिस पर थाना गंगापुर सिटी में एफआईआर संख्या 368/2012 धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी में दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अनुसंधानाधिकारी द्वारा एफआर अदम वकू सिविल नेचर में न्यायालय में पेश की। जिस पर परिवादी की ओर से प्रस्तुत नाराजगी याचिका पर न्यायालय द्वारा बाद बहस दिनांक 12.10.2018 को अभियुक्त अशोक कुमार शर्मा, शीला व मीरा देवी के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 120 बी आईपीसी में प्रसंज्ञान लिया गया था। प्री–चार्ज साक्ष्य में परिवादी की ओर से गवाह पी.ड. 1 ज्ञानसिंह को परीक्षित करवाया है। प्रकरण में अभियुक्ता मीरा की फौत हो जाने से दिनांक 29.06.2024 को उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है तथा दिनांक 29.06.2026 को परिवादी की ओर से धारा 420 आईपीसी में राजीनामा की अनुमति दिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश होने पर, अनुमति दी गई, जिस पर परिवादी ज्ञानसिंह व अभियुक्तगण अशोक व शीला की ओर से समेकित रूप से धारा 420 आईपीसी में राजीनामा पेश किया। राजीनामा पृथक से तस्दीक किया जाकर अभियुक्तगण अशोक व शीला को धारा 420 आईपीसी के अपराध से बरूए राजीनामा उन्मोचित किया गया। अब अभियुक्तगण अशोक व शीला के विरूद्ध धारा 467, 468, 120 बी आईपीसी के अपराध का आरोप है। प्री–चार्ज साक्ष्य में गवाह पी.ड. 1 ज्ञानसिंह ने मुख्य परीक्षण में इस्तगासा में वर्णित तथ्यों को दौहराया है परंतु दौराने प्रतिपरीक्षण दिनांकित 09.06.2026 को गवाह ने कथन किये हैं कि उसकी खरीदशुदा जायदाद का प्लॉट नंबर नहीं है स्वतः कहा कि खसरा नंबर 2602 है। लिखापढी के समय खसरा नंबर 2602 होना कजोडमल ने ही बताया था। उसने नगर परिषद गंगापुर सिटी से प्रदर्श पी–2 पट्टा भूमि खसरा नंबर 2602 में से प्राप्त किया है। अशोक ने प्रदर्श पी–7 रजिस्ट्री भूमि खसरा नंबर 5756 में से करवाई थी। इसके अतिरिक्त दौराने प्रतिपरीक्षण दिनांकित 29.06.2026 में इन तथ्य को सही होना बताया है कि अशोक या कमला ने रजिस्ट्री का कोई उपयोग उसके विरूद्ध कभी नहीं किया, उसके द्वारा कजोडमल से भूखण्ड खरीदते समय अशोक वहां पर मौजूद नहीं था, कजोडमल से उसके द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	भूखण्ड खरीदने की कोई जानकारी अशोक को नहीं थी, कजाडमल के कोई हस्ताक्षर अशोक या उसकी बहन ने फर्जी नहीं बनाए, अशोक व शीला ने उसके दस्तावेजात में कोई हेराफेरी या जाली हस्ताक्षर नहीं किए, उसने कजोड से भूखण्ड खसरा नंबर 2602 में से खरीदा था, अब उनका अशोक व शीला से राजीनामा हो गया है तथा वह अशोक व शीला के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। उभयपक्षकारान को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकार उपरोक्त प्री–चार्ज साक्ष्य, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा पक्षकारों के तर्कों के सम्यक् अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है, जिसके परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तगण को धारा 420 आईपीसी में जरिए राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है। जहां तक अभियुक्तगण अशोक व शीला के विरुद्ध शेष रही धारा 467, 468, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों का प्रश्न है, तो प्री–चार्ज साक्ष्य का सम्यक अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि परिवादी स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार कर चुका है कि अभियुक्त अशोक एवं शीला द्वारा उसके दस्तावेजों में किसी प्रकार की हेराफेरी, जालसाजी अथवा कूटरचना नहीं की गई तथा न ही कजोडमल के हस्ताक्षरों का कोई फर्जी निर्माण अभियुक्तगण द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त परिवादी गवाह ज्ञानसिंह द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किये हैं कि उसने नगर परिषद गंगापुर सिटी से प्रदर्श पी–2 पट्टा भूमि खसरा नंबर 2602 में से प्राप्त किया है। जबकि गवाह ने यह स्वीकार किया है कि अशोक ने प्रदर्श पी–7 रजिस्ट्री भूमि खसरा नंबर 5756 में से करवाई थी। इसके साथ ही परिवादी ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण द्वारा कथित विक्रय–पत्र का उसके विरुद्ध कभी कोई उपयोग नहीं किया गया तथा वर्तमान में पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है एवं वह अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्री–चार्ज साक्ष्य एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का समग्र मूल्यांकन करने पर अभियुक्तगण अशोक व शीला के विरुद्ध धारा 467, 468 एवं 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों के आवश्यक अवयव प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं होते हैं तथा ऐसा कोई पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	जाना न्यायोचित हो। अतः प्रकरण में प्रथम दृष्टया अभियुक्त **1. अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्यामलाल तिवाडी निवासी उदेई कलां थाना सदर गंगापुर सिटी, 2. श्रीमती शीला देवी निवासी आदर्श नगर गंगापुर सिटी हाल निवासी बोली तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर** के विरुद्ध धारा 467, 468 एवं 120 बी IPC के तत्व विद्यमान नहीं होने से उन्हें अपराध अंतर्गत धारा 467, 468 एवं 120 बी आईपीसी के आरोप से धारा 245 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत **उन्मोचित** किया जाता है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए